न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **इन्द्रजीत सिंह**, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 04/2017 (रसद)
पंजीयन दिनांक 20.01.2017

श्री नानकराम सिंधी पुत्र मगनमल सिंधी, दुकानदार उचित मूल्य वार्ड नम्बर 10 नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ (राज.)

..................अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज)

................विपक्षी

अपील विरूद्ध निर्णय जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 454/2016 दिनांक 19.12.2016

उपस्थितिः- 1-श्री राकेश कुमार जैन, अधिवक्ता अपीलान्ट
2-श्री हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 30.01.2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 23.07.2016 से 24.08.2016 तक की अवधि में अपीलान्ट द्वारा पोस मशीन के माध्यम से कुल 418 अवैधानिक ट्रांजेक्शन कर गेहूं, चीनी व केरोसीन वास्तविक उपभोक्ताओं को वितरण नहीं करके गबन कर कालाबाजारी करने से अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र संख्या 237/1986 निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि जब्त करने के पारित आदेश दिनांक 19.12.2016 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। जिला रसद अधिकारी की ओर से पैरोकार सरकार प्रवर्तन अधिकारी के उपस्थित होने एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने से बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मेमो मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा प्राधिकार पत्र निरस्त करने का निर्णय पारित करने तक न तो अपीलार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया न ही उसे सुनवाई का अवसर दिया। अपीलार्थी को अपना पक्ष रखे जाने का अवसर दिये बिना प्राधिकार पत्र को निलम्बन से निरस्त कर दिये जाने तक की कार्यवाही कर दी जो विधि सम्मत नहीं है। जिला रसद अधिकारी ने निलम्बन एवं निरस्ती का

प्रकरण संख्या 04/2017 (रसद)
श्री नानकराम सिंधी दुकानदार उ. मू. वार्ड नं. 10 नगर परिषद चित्तौड़गढ़ बनाम राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़

प्रमुख आधार यह बताया कि अपीलार्थी ने जिला रसद अधिकारी की लॉगिन आई. डी. को अनाधिकृत रूप से प्राप्त कर गैर कानूनी तरीके से दिनांक 23.07.2016 से 24.08.2016 की अवधि में पोस मशीन के माध्यम से 418 राशन कार्डो को जोडकर आधार कार्ड से सामग्री प्राप्त की जो कि यह आरोप एवं आक्षेप निराधार है क्योंकि जिला रसद अधिकारी का लॉगिन आई. डी. स्वयं उनके पास रहता है जिसे न तो कोई प्राप्त कर सकता है और न ही उसका उपयोग कर सकता है। अपीलार्थी पर यह भी आरोप लगाया कि उसके द्वारा 52.55 क्विंटल गेहूं, 848 लीटर केरोसीन एवं 25 किलोग्राम चिनी का आहरण कर वास्तविक उपभोक्ताओं को वितरण नहीं किया। अपीलार्थी को वितरण हेतु जो सामग्री दी जाती है उसका विस्तृत ब्यौरा विभागीय पोर्टल मशीन मे होता है तथा जो सामग्री वितरण होती है उसका ब्यौरा भी विभागीय पोर्टल मशीन में आता है वितरण बायोमेट्रिक विधि से होता है इस कारण यह आक्षेप न केवल असत्य है बल्कि आधारहीन भी है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.12.2016 निरस्त फरमावें तथा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र संख्या 237/86 को बहाल फरमाया जावे।

प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार का मुख्य कथन यह रहा कि प्राधिकार पत्र निलम्बन करने पर अपीलार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 23.07.2016 से 24.08.2016 तक की अवधि में पोस मशीन के माध्यम से जिला रसद अधिकारी का लॉगिन आई. डी. अवैध रूप से प्राप्त कर श्री दिनेश निनामा के आधार कार्ड संख्या 297129960920 से एक ही आधार कार्ड को अलग-अलग राशन कार्डो से जोडकर कुल 418 अवैधानिक ट्रांजेक्शन करके 52.55 क्विंटल गेहूं, 848 लीटर केरोसीन तथा 25 किलोग्राम चीनी का आहरण करके वास्तविक उपभोक्ताओं को वितरण नहीं करके गबन कर कालाबाजारी की गई है जिसके फलस्वरूप जिला रसद अधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र निरस्त करने एवं जमा प्रतिभूति राशि को जब्त करने के आदेश दिए गए हैं जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारीज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन कर उसका अध्ययन किया। अपीलार्थी को पत्रांक/रसद/विधि/454/2016 दिनांक 05.09.2016 से कारण बताओ नोटिस जारी कर ड़ाक के माध्यम से प्रेषित किया गया है जिससे अपीलार्थी का कथन की प्राधिकार पत्र निलम्बन करने या उसे निरस्त करने का निर्णय पारित करने तक अपीलार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया मानने योग्य नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध तकनिकी निदेशक, राजकोम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर के पत्रांक एफ 4.2(169)/RISL/TECH/2014/4127 दिनांक 31.08.2016 एवं विभागीय पोर्टल से पोस मशीन की विवरण सम्मरी की, की गई जांच रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि एफ. पी. एस. कोड 23994 श्री नानकराम सिंधी द्वारा आधार कार्ड संख्या 297129960920 जो कि श्री दिनेश निनामा के नाम का है से एक ही आधार कार्ड से अलग-अलग राशन कार्डो को

प्रकरण संख्या 04/2017 (रसद)
श्री नानकराम सिंधी दुकानदार उ. मू. वार्ड नं. 10 नगर परिषद चित्तौड़गढ़ बनाम राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़

जोडकर दिनांक 23.07.2016 से 24.08.2016 की अवधि में कुल 418 ट्रांजेक्शन किये गये है जिसमें से 197 ट्रांजेक्शन से 52.55 क्विंटल गेहूं, 212 ट्रांजेक्शन से 848 लीटर केरोसीन तथा 9 ट्रांजेक्शन के माध्यम से 25 किलोग्राम चीनी का आहरण किया गया है। अपीलार्थी द्वारा एक ही आधार कार्ड को एक राशन कार्ड से सीडिंग कर ट्रांजेक्शन पूरा होने/राशन सामग्री उठाने के बाद उस आधार नम्बर को ट्रांजेक्शन किये गये राशन कार्ड से डिलीट/कैंसल कर नये राशन कार्ड के साथ पुनः सीडिंग/अपडेट कर यह अवैधानिक आहरण किए गए हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा पोस मशीन के माध्यम से अवैधानिक रूप से राशन की सामग्री का आहरण कर वास्तविक उपभोक्ताओं को उसका वितरण नहीं करके गबन करना व कालाबाजारी करना प्रमाणित होता है।

निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज की जाती है एवं जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.12.2016 यथावत रखा जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(इन्द्रजीत सिंह)